

श्री श्याम पुत्र रजन जाति शर्मा निवासी रिंकडपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

दिनांक:- 6.3.18

निर्णय:-

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री श्याम ने ग्राम रजन को भूमि ख.न. 889/1823 रकबा 0.40 किस्म खरबूट फसल खरबूट रवि/खरीफ संवत 2074 में कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (b) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889/1823 रकबा 0.40 किस्म खरबूट वाके ग्राम रिंकडपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8.00 45.50 गुणा 500 शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल खरबूट को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

मायाब

मायब तहसीलदार
महवा (दस्ता)

रजिस्टर न/व के पेज नं. 112 पर
वर्ष 2017-18 में पालना निलामी
की राशि 40022 के
की जमा 50
दिनांक 12/3/18
Bohary
तहसील-महवा